

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03082023-247803
SG-DL-E-03082023-247803असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2023/श्रावण 11, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 178
No. 243]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2023/SHRAVANA 11, 1945	[N. C. T. D. No. 178

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (पुलिस-II) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 2 अगस्त, 2023

फा. सं. 8/127/2023/गृह पुलिस-II/2683-2696.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यू टी एल (i) के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी एतद् द्वारा श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को पुलिस थाना ई.ओ.डब्ल्यू, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 170/384/388/386/419/420/506/120-ख तथा 66-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर सं. 124/21 के मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजन भटनागर, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 2nd August, 2023

No. F. 8/127/2023/HP-II/2683-2696.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Competent Authority, is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor in the case FIR No. 124/21, u/s 170/ 384/388/ 386/419/420/506/120-B IPC & 66-IT Act, PS EOW, Delhi.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy. (Home-II)